प्राक्षप - 30

#### FORM-1

(for linear projects)

### Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

NoMeno

Dated 22-02-2022

## To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.595 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department Uttarakhand for Swarka band to Baniyas Motoro in Block Karanprayag, District Chamoli falls within jurisdiction of Swarka, Kalakot and linked Village Baniyas.

#### It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.595 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23 (A).
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग

गोपेश्वर्

D Cha

Himanshu-Khurana District Magistrate Chamoli (Uttarakhand) ਪਿੰਗ ਸੰਵਿਤਰਾਵੀ

चमोनी



# प्राकष - 30·1

ANNEXURE....

# OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, DISTRICT CHAMOLI (UK.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Mopes Welhar

Himanshu Khurana
District Magistrate
Chairman, District Level

Chairman, District Leve Committee, Chamoli

*जिनाधिकारी* 

वमोन्त

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग


#### प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बनियास तक नव निर्माण का कार्य।

_		कार्यालय उप जिलाधिकारी, ————	
अनुसूचित	जनजाति	और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत	त प्रमाण—पत्र
		उपखण्ड स्तरीय समिति, ————	, , , , , , , , , , , , , , , ,

उपखण्ड ---- परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बनियास तक नव निर्माण का कार्य हेतु (@350 है0 सिविल एवं o २४5केवन क्वान्सभूमि अर्थात कुल 0.595 हैo वन भूमि ) का लोक निर्माण विमाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक **२०|०९ |२०२-|** को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2ू006 एवं नि्यम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री <del>एको क्रुक्ता विदेश</del> उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।





संबंधित उप प्रमागीय वनाधिकारी. ————हारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ———— परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्वर्का बैण्ड से बनियास तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.595 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमृति व्यक्त की गयी।

> उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- कर्णप्रयाग जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारीं / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- कर्णप्रयाग जनपद-चमोली

15